दिनाक 10.11.2020
प्रेस विज्ञप्ति–10/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बरेली/थाना मीरगंज

- **25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय 04 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 09.11.2020 की रात्रि थाना मीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कुतुबपुर को जाने वाले कच्चे रास्ते से पुरस्कार घोषित अपराधी दुर्वेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 04 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 384/2020 धारा 302 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना मीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

दुर्वेश निवासी ग्राम बहरौली थाना मीरगंज जनपद बरेली।

बरामदगी

01 तमंचा मय 04 जीवित कारतूस।

जनपद आजमगढ़/थाना दीदारगंज

- **25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा ,01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 470रूपये नगद बरामद**

दिनांक 09.11.2020 की रात्रि थाना दीदारगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से

मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी प्रवीण उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा ,01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 470 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है तथा डी–71 का सदस्य है तथा थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2020 धारा 419/420/406 भादवि व 66 डी आई0टी0एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना दीदारगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

प्रवीर्ण उर्फ मोनू निवासी ग्राम भादो थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी</u>

01 अवैध तमंचा ,01 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 470 रूपये नगद।

<u>जनपद कुशीनगर / थाना कोतवाली पड़रौना</u>

दिनांक 10–11–2020 को थाना कोतवाली पड़रौना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अम्बे चौक के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी रामध्यान को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पड़रौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 436/2020 धारा 302/201 भादवि में वाछिंत चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पड़रौना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1– राधेश्याम निवासी विजयपुर थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

जनपद बिजनौर/थाना नजीबाबाद

- **15–15 हजार रु0 के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 10.11.2020 को थाना नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सराय ईम्मा थाना किरतपुर से 02 पुरस्कार घोषित अपराधी 1–साजिद, 2–शाकिर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना किरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 295/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साजिद निवासी ग्राम सराय ईम्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

2–शाकिर निवासी ग्राम सराय ईम्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर/थाना चांदपुर

- **15,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 10.11.2020 को थाना चांदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हस्तिनापुर तिराहा जंगल से पुरस्कार घोषित अपराधी सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चांदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 543/2020 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर पर 15,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना चांदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

सोनू निवासी ग्राम बदवाखेडी थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

01 तमंचा 12 बोर, 02 जीवित, कारतूस।

<u>जनपद बदायूं/थाना कोतवाली</u>

- **10,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट की सोने की अंगूठी,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 10.11.2020 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बड़े सरकार के आगे फर्नीचर की दुकान के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी नौहेब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट की सोने की अंगूठी, 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 271/2020 धारा 392/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

नौहेब निवासी कबूलपुरा गौटिया थाना कोतवाली जनपद बदायूं।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट की सोने की अंगूठी,

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद गाजियाबाद/थाना मुरादनगर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे 04 अपराधी गिरफ्तार**
- **03 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 13 तमंचे की बैरल, 04 जीवित कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे,**
- **2 लाख 50 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 10.11.2020 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीएसएनएल चौराहा रावली रोड़ के पास से 01 अपराधी मोहम्मद उमर उर्फ मास्टर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशादेही पर आर्दश कालोनी मुरादनगर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन कर रहे उसके अन्य साथी मोईनुद्दीन, नौशाद एवं रूमी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे विभिन्न बोर, 13 तमंचे की बैरल, 04 जीवित कारतूस व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे, 02 लाख 50 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना मुरादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहम्मद उमर उर्फ मास्टर निवासी आर्दश कालोनी कस्बा व थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद।

2–मोईनुद्दीन निवासी मोहल्ला नूरगंज पुरानी अनाज मण्डी, कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

3–नौशाद निवासी आर्दश कालोनी कस्बा व थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद।

4–रूमी पत्नी मोहम्मद उमर उर्फ मास्टर निवासी आर्दश कालोनी कस्बा व थाना मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–03 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे विभिन्न बोर,

2–13 तमंचे की बैरल, 04 जीवित कारतूस , भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

3–02 लाख 50 हजार रूपये नगद ।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना खुटार

- **12 अभियुक्त गिरफ्तार लगभग 50 लाख रू0 कीमत का 01 कुन्तल 30 किलोग्राम अवैध गांजा तथा 15 कुन्तल भांग, 11 मोबाइल फोन, 01 कार, 50 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 09.11.2020 को थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कठना नदी के पुल के पास से 12 अभियुक्तों 1—अमरेश, 2—श्रीकिशन, 3—राधेश्याम, 4—शिवम्, 5—दीपक, 6—बृजेश, 7—रामतेज, 8—सूबेदार, 9—रामजीत, 10—महेन्द्र कुमार, 11—सर्वेश कुमार, 12—रितेष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 50 लाख रू0 कीमत का 01 कुन्तल 30 किलोग्राम अवैध गांजा तथा 15 कुन्तल भांग, 11 मोबाइल फोन, 01 कार, 50 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना खुटार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अमरेश निवासी दन्नापुर थाना बदौसराय जनपद बाराबंकी।
2—श्रीकिशन निवासी दन्नापुर थाना बदौसराय जनपद बाराबंकी।
3—राधेश्याम निवासी रेसन्ठा थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
4—शिवम् निवासी सैदपुर पुरैई थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
5—दीपक निवासी ग्राम संदैवां थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
6—बृजेश निवासी पूरे वैश थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
7—रामतेज निवासी सिघौर थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी।
8—सूबेदार निवासी सदैवां थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।
9—रामजीत निवासी कान्तापुरवां थाना जेतपुर जनपद बाराबंकी।
10—महेन्द्र कुमार निवासी लौंखड़िया थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।
11—सर्वेश कुमार निवासी रैसंठा थाना कोठी जनपद बाराबंकी।
12—रितेष निवासी घंटाघर थाना कोतवाली जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1— लगभग 50 लाख रू0 कीमत का 01 कुन्तल 30 किलोग्राम अवैध गांजा तथा 15 कुन्तल भांग, 11 मोबाइल फोन,
2—01 कार,
3—50 हजार रूपये नगद आदि।

एसटीएफ– सलमान गैंग का शूटर एंव थाना जी0टी0बी0 एन्क्लेव, जनपद शाहदरा, दिल्ली क्षेत्र में हुए किन्नर गुरू की हत्या की सनसनी खेज घटना के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 289/2020 धारा 302/34 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट में वांछित कुख्यात अपराधी सलमान का भाई आमिर गाजी उसके साथी सहित गिरफ्तार।

दिनांक 09.11.2020 को थाना जी0टी0बी0 एन्क्लेव जनपद शाहदरा, दिल्ली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 289/2020 धारा 302/34 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट से संबंधित मुख्य शूटर को उसके साथी सहित थाना कोतवाली जनपद मेरठ क्षेत्रान्तर्गत गिरफ्तार करने में एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. आमिर गाजी पुत्र निजामुददीन नि0 म0नं0 28 इस्माईलनगर, थाना कोतवाली, जनपद मेरठ।
2. सुऐल खान पुत्र चॉद खान निवासी नूरनगर की पुलिया, बी0एस0 पैलेस के सामने वाली गली, थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ।

बरामदगीः–

1– 01 अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर
2– 03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर
3– 01 अदद तमंचा 315 बोर
4– 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 09.11.2020, स्थानः–सुभाष बाजार से इस्माईलनगर वाली गली, थाना कोतवाली मेरठ समयः–17.00 बजें

एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उ0प्र0 के रहने वालें अपराधियों द्वारा सुपारी लेकर हत्या करने वालें गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी, जिसके विरूद्ध एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाइयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 मेरठ द्वारा एस0टी0एफ0 के निर्देशन में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन एवं विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि कारागार में निरूद्ध चल रहे कुख्यात एंव शातिर अपराधी सलमान का भाई एंव गैंग का शूटर आमिर गाजी पुत्र निजामुददीन नि0 म0नं0 28 इस्माईलनगर, थाना कोतवाली, जनपद मेरठ, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना जी0टी0बी0 एन्क्लेव शाहदरा क्षेत्रान्तर्गत एकता जोशी किन्नर की हत्या की घटना को अन्जाम दिया गया था। आज मुखबिर द्वारा बताया गया कि आमिर गाजी व उसका साथी सुएल खान अवैध अस्लाह लिये थाना कोतवाली से पहले इस्माईल वाली गली में खड़े हैं तथा कोई घटना करने की फिराक मे हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुये निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार, हे0कां0 संजय सिंह, हे0कां0 रवि वत्स, हे0कां0 रकम सिंह, कान्स0 दीपक कुमार एंव कान्स0 अंकित श्यौरान की एस0टी0एफ0 मेरठ की टीम तैयार कर मय मुखबिर के रवाना हुई तथा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान सुभाष बाजार इस्माईलनगर वाली गली पर पहुॅचे तथा टीमो का गठन कर उपरोक्त अभियुक्तों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर उपरोक्तानुसार बरामदगी की गयी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त आमिर गाजी उपरोक्त ने संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि मेरा भैंसों का व्यापार है। मेरी कई वर्षो से शारिक से दुश्मनी चल रही है। मुझे शारिक से बदला लेने के लिए कुछ लड़कों की जरूरत थी। करीब 6 माह पहले मेरी असलम पहलवान नि0 हाजी याकूब वाली गली सराय वहलीम, थाना कोतवाली, मेरठ के मकान पर गगन पण्डित नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई तथा हमारी दोस्ती हो गयी। मैंने गगन पण्डित को बताया कि शारिक से मेरी दुश्मनी चल रही है मुझे उससे बदला लेने के लिए कुछ लड़को की जरूरत है। गगन पण्डित ने कहॉ कि मेरा भी एक काम है पहले तुम मेरा साथ दे दो और फिर मैं तुम्हारा साथ दूँगा। दि0 05—09—2020 को गगन पण्डित का फोन आया और शाहदरा में मिलने को बुलाया। मैं उस समय दिल्ली में ही था और मैं गगन पण्डित द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचा, जहॉ गगन पण्डित के अलावा उसके अन्य साथी भी मौजूद थे। वहॉ पर हम लोगो ने जी0टी0बी0 एन्क्लेव शाहदरा, दिल्ली मे रह रहे एकता जोशी किन्नर जिससे गगन पण्डित की दुश्मनी चल रही थी, को मारने की योजना बनायी। रात को 8—9 बजे मैं, गगन पण्डित एंव हमारे अन्य साथी स्कूटी से जी0टी0बी0 शाहदरा, दिल्ली पहुँचे वहॉ पर एक गाड़ी आकर रूकी, जिसमें एकता जोशी किन्नर है, जिसको मारना है तभी हम लोग दोनो स्कूटी से एकता जोशी के नजदीक गये और गगन पण्डित द्वारा 3—4 गोली मारकर हम लोग फरार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त सुएल खान पुत्र चॉद खा उपरोक्त ने संक्षिप्त पूछताछ में बताया कि मैं ईब्ज चौराहा, निकट आबकारी आफिस के पास अपने पिता के साथ भूरा कार वाशिंग सेन्टर पर काम करता हूॅ। मैं विगत दो वर्षो से आमिर के सम्पर्क मे हूॅ। इरफान निवासी श्यामनगर मन्दिर वाली गली लिसाड़ी गेट, मेरठ मुझसे आकर मिला और कहॉ कि हाजी इजलाल जो वर्तमान में जेल में बन्द है, के भाई हाजी परवेज दो हत्या कराना चाहता है, जिसकी एवज में आपको 10—10 लाख रूपयें मिलेगें आप आमिर से बात कर लेना। मामला हाजी इजलाल/हाजी परवेज का होने के कारण मैंने एक करोड़ रूपयें देने को कहॉ, तो इरफान ने आमिर से बात कर मिलने को कहा। इसी संबंध में आज मैं आमिर से मिलकर बात कर ही रहा था कि आप लोगों ने पकड लिया। मैं आमिर के लिए काम करता हूॅ। आमिर व सलमान के कहने पर ही मैं विभिन्न व्यापारियों को सलमान के

नाम से पर्ची देकर आमिर से मिलने के लिए कहता था जिसकी एवज में मुझे आमिर कुछ पैसे देता था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना कोतवाली, मेरठ पर मु0अ0सं0 199, 200/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कोतवली मेरठ द्वारा की जा रही है।

<u>आपराधिक इतिहास आमिर गाजी पुत्र निजामुददीन</u>

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	183/15	147/323/504/427/379 भादवि	कोतवाली	मेरठ
2	62/16	364/342/323/506 भादवि	कोतवाली	मेरठ
3	115/16	3/4 गुण्डा एक्ट	कोतवाली	मेरठ
4	92/2020	3/25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	मेरठ
5	289/2020	302/120बी/34 भादवि, 25/25 आर्म्स एक्ट	जीटीबी एन्क्लेव	शाहदरा दिल्ली
6	199/2020	25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	मेरठ

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भादवि में अभियुक्त इमरान को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

————————